संख्या-1/1158/22-2-2014-24जी/2014

प्रेषक,

राम कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2014

विषय- क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 यूनियन आफ इण्डिया बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 यूनियन आफ इण्डिया बनाम वी0 श्री हरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित सिद्वदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगा दी गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल सचिवालय द्वारा सिद्वदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई की 58 पत्रावलियां बिना किसी निर्णय के वापस कर दी गयी है तथा वर्तमान में सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी पत्रावलियां अब उच्चादेश हेतु प्रस्तुत नहीं की जा रही है।

2- प्रमुख सचिव, ग़ह गोपन एवं कारागार, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18-07-2014 को दयायाचिका समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 के प्रभावी रहते उक्त दयायाचिका समिति की बैठक दिनांक 18-07-2014 में विचार किये गये सिद्धदोष बन्दियों की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई तथा अन्य समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यालय स्तर पर तैयार कर लिये जायें किन्तु शासन के विचारार्थ प्रेषित न किये जायें।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालयों के समक्ष योजित अन्य क्रिमिनल रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की कार्यवाही के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो। यदि मा0 न्यायालय का कोई आदेश आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों को परिहार के सम्बन्ध में हो, तो सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश को संज्ञान में लाते हुये समुचित निर्देश प्राप्त किये जायें। क़ृपया तदनुसार सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in